FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2023/864

of सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) at जोधपुर

Kind of the Case U/S 144 - CPC

Number of Case C/30/ Year 2024

गजेन्द्र सिंह उर्फ गजेसिंह Versus राज. सरकार

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
26/07/24 पत्रावली पेश। अधि. वादी उप.। पूर्व में तहसीलदार, जोधपुर का जवाब प्राप्त है। अधि. प्रार्थी की बहस सुनी गई। मुताबिक बहस - " ग्राम मंडोर प्रथम, ख. सं. 1701 से 1709, 1723 से 1730, 1730/1, 1731 से 1734 (56-11 बीघा) ग्राम मंडोर द्वितीय, ख. सं. 413 (10-01 बीघा) के संबंध में सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा जारी डिक्री दिनांक 25/07/08 की पालना में रेखा, योगेश, भानू का नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ। उक्त निर्णय को मा. RAA द्वारा दिनांक 15/04/2010 को अपास्त कर दिया गया। मा. राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 02/03/23 में भी उक्त निर्णय बहाल रखा गया। अतः आदेश अपास्त होने से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।" मुताबिक जवाब तहसीलदार, जोधपुर - " Revenue record में न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा के आदेश दिनांक 25/07/08 के अनुसार नाम दर्ज है। अतः मार्गदर्शन प्रदान करावें।" पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय सहायक	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2023/364

Number of Case C/30/ Year 2024

गजेन्द्र सिंह उर्फ गजेसिंह Versus राज. सरकार

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the Order
	कलक्टर, बिलाड़ा के आदेशानुसार विवादित भूमि में स्व. जेठाराम के साथ-साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।	
	न्यायालय मा. RAA के आदेशानुसार विचारण न्यायालय द्वारा यह वर्णित नहीं किया गया है कि वादीगण का कितना हिस्सा दर्ज हो। अतः डिक्री दिनांक 25/07/08 अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए मूलवाद निस्तारण करें।	
	मुताबिक न्यायालय मा. राजस्व मंडल, अजमेर आदेश - "अपीलीय न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।"	
	उपरोक्त के आधार पर प्रा. पत्र under section 144 CPC अस्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा हिस्सा उल्लेखित नहीं करने को लेकर टिप्पणी की गई है। विवादित भूमि को विचारण न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति मानने पर कोई adverse टिप्पणी नहीं की गई है। अतः प्रथम दृष्टया न्यायालय विवेचनानुसार हिस्सा निर्धारित करने हेतु साक्ष्य के आधार पर निर्णयन हेतु प्रकरण remand	

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2023/864

...rt of सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) at जोधपुर

Kind of the Case U/S 144 C.P.C.

Number of Case C/30/ Year 2024

गजेन्द्र सिंह उर्फ गजे सिंह Versus राज० सरकार

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
किया गया है। अतः राजस्व वाद सं. 54/08 पुनः दर्ज हो एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेशों की पालना में पुनः प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जावे। राजस्व वाद दिनांक 14/08/24 को पेश हो। साथ ही भविष्य में वाद बहुलता ना बढ़े, इसे ध्यान में रखते हुए विवादित भूमि के 174 हि (प्रथम दृष्ट्या रेखा, योगेश, भानू का हि:) के record की यथास्थिति बनी रहे। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर [Seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर — सत्यमेव जयते]	